रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1854] नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 2018/ ज्येष्ठ 2 , 1940
No. 1854] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 2018/JYAISTHA 2, 1940

MadiaCode

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2018

का. आ. 2049(अ).— केन्द्रीय सरकार शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 की उप-धारा (।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि अधिनियम की धारा 10 तथा शस्त्र नियम, 2016 के अध्याय 6 के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां तथा निष्पादित कार्य निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे, अर्थात्:—

यह कि सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

(i) गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रणाधीन होगा;

(ii) गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित नीतियों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा तथा गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना इनसे संबंधित न कोई नई नीति निरूपित करेगा और न ही कोई अनुदेश जारी करेगा;

(iii) गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदक की सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 10 के अधीन लाइसेंस जारी करेगा;

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि कार्रवाई का ऐसा अनुक्रम उसकी राय में लोकहित में आवश्यक है, तो वह ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा कार्यों को या तो वापस ले सकेगी या स्वयं उक्त धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन कर सकेगी।

[फा. सं. V-11026/12/2018-शस्त्र]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2018

S.O. 2049(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby directs that the powers and functions exercisable and performed by it under section 10 of the Act and Chapter VI of the Arms Rules, 2016, shall also be exercised and performed by the Secretary to the Government of India in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, subject to the following conditions, namely:—

that the Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry shall,

(i) be subject to the supervision and control of the Central Government in the Ministry of Home Affairs;

(ii) observe the policies and instructions laid down by the Central Government in the Ministry of Home Affairs and shall not enunciate any new policy or issue instructions in relation thereto without the prior consent of the Central Government in the Ministry of Home Affairs;

(iii) issue the license under section 10 of the Act after obtaining security clearance of the applicant by the Centre Government in the Ministry of Home Affairs;

(2) The Central Government may revoke such delegation of powers and functions or may itself exercise or perform the powers or functions under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F.No. V-11026/12/2018-Arms]

MUKESH MITTAL, Jt Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.24 20:02:08 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.